पत्र संख्या–14/डी0एल0ए0 (एन0टी0पी0सी0एस0)–मुजफ्फरपुर–144/2013–2124/रा.दि0– 03-09-13

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
भू–अर्जन प्रशाखा
अधिसूचना

संख्या : **आर0** **पटना,** **दिनांक :**

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव मुरसंडी, (चादर नं०–03) थाना नं0–209, अंचल–मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन के अतिरिक्त 2x195 मेगावाट इकाई एवं न्यू ऐस डाईक निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव मुरसंडी, (चादर नं०–03) थाना नं0–209, अंचल–मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम– वेश X बीघा X कट्ठा X धूर X छटाँक है जो **10.14 (दस एकड़ चौदह डिसमिल)** एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :–
अर्जनाधीन अंश खेसरा नं0– 4105, 4107, 4154 एवं पूर्ण खेसरा सं०–4100/4924.

चौहद्दी

उत्तर – अर्जनाधीन पूर्ण खेसरा नं०–4093, 4094, 4095, 4962 एवं अंश खेसरा सं०–4092 तथा पूर्व में अर्जित खेसरा सं०–4154, 4120, 4107 एवं 4106.
पूरब – पूर्व में अर्जित पूर्ण खेसरा सं०–4963, 4097, 4098, 4940 एवं अंश खेसरा सं०–4927, 4107, 4105, 4250 तथा 4155..
दक्षिण – पूर्व में अर्जित पूर्ण खेसरा सं०–4150, 4100, 4102 एवं अंश खेसरा सं०–4106.
पश्चिम – मिलान चादर नं०–04 एवं पूर्व में अर्जित अंश खेसरा सं०–4153, 4108 एवं 4105.

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा–4के उपबंधो के अधीन जो भूमि अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम 1960 से संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय अपर महाप्रबंधक (मानव संशाधन), कॉटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपराधारा–2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नही होगे।

(अनुपम कुमार)
समाहर्त्ता
मुजफ्फरपुर

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–14/डी0एल0ए0 (एन0टी0पी0सी0एस0)–मुजफ्फरपुर–144/13–2125/रा0 दि0–03-09-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

2/9/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।